

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, तारीख 7 जुलाई, 2017

सा0का0नि0 (अ)- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 उपखंड (i) में सा0का0नि0 588(अ) तारीख 14 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 1 की पंक्ति 9 में "6908" का लोप किया जाएगा;
- (ii) सारणी में, कॉलम (2) में, "6908" जहां-जहां आता है, का लोप किया जाएगा

[फा.सं. 354/24/2016-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार